नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–22.04.2019 को AMRUT योजना की योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–संलग्न।

1. Team Leader, PDMC (AMRUT) द्वारा बताया गया कि Contract के अनुसार सभी अमृत योजनाओं के लिए Materials की जाँच हेतु Laboratory की स्थापना नहीं की गई है।

बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया जाता है कि Contract के अनुसार Materials की जाँच सुनिश्चित की जाय।

[अनुपालन – बुडको एवं नगर निकाय]

2. बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में M/s WAPCOS Ltd. को निदेश दिया जाता है कि AMRUT योजना अन्तर्गत PDMC हेतु Consultancy Services के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार एवं M/s WAPCOS Ltd. के बीच हुए Agreement के Terms of Reference के अनुसार Urban Development Program को Implement करने हेतु बुडको एवं नगर निकायों को Assist किया जाय।

[PDMC (AMRUT)/बुडको/नगर निकाय]

3. BUIDCo के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि Jamalpur, Aurangabad, Munger में जलापूर्ति योजनाओं का NIT 25.02.2019 हो चुका है। बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बुडको को निदेश दिया गया कि निविदा संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सीघ्र LoA निर्गत किया जाय।

[अनुपालन : बुडको एवं PDMC (AMRUT)]

4. बुडको के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि Bhagalpur Drainage योजना का कार्य आरंभ हो चुका है किन्तु Networking के Design एवं Drawing का Vetting NIT पटना में लंबित रहने के कारण कार्य में तेजी नहीं आयी है। बुडको के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि Vetting का कार्य 1 सप्ताह में पूर्ण करा कर कार्य में तेजी लायी जाएगी।

बुडको को निदेश दिया गया कि योजनाओं के Hindrance को अविलम्ब दूर कर कार्य में तेजी लायी जाय।

5. **बुडको के प्रतिनिधि द्वारा निम्न जलापूर्ति योजनाओं के** Tubewell / Water Tower **हेतु स्थल के** NoC **के** Status **के संबंध में निम्न जानकारी दी गयी :**

Motihari,Phase – II,	3 NOC अप्राप्त
Bettiah, Phase – I,	2 NOC अप्राप्त
Chhapra, Phase – II,	6 NOC अप्राप्त
Siwan, Phase – II,	1 NOC अप्राप्त
Sasaram, Phase – I,	2 NOC अप्राप्त
Sasaram, Phase – II,	2 NOC अप्राप्त
Begusarai, Phase – I,	2 NOC अप्राप्त
Begusarai, Phase – II,	2 NOC अप्राप्त
Kishanganj, Phase – II,	2 NOC अप्राप्त
Jehanabad, Phase – II,	8 NOC प्राप्त
Katihar, Phase – I,	9 NOC प्राप्त (1 जगह पर समस्या है)
Katihar, Phase – II,	10 NOC अप्राप्त
Purnea, Phase – I,	1 NOC अप्राप्त
Purnea, Phase – II,	4 NOC अप्राप्त

बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया जाता है कि बुडको नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला के संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर स्थल से संबंधित NOC प्राप्त करें।

[अनुपालन : बुडको एवं नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी]

7. गृह संयोजन की अत्यंत धीमी प्रगति देखते हुए निदेश दिया गया कि इसमें तेजी लायी जाय ताकि योजनाओं को ससमय पूर्ण किया जा सके। अभी तक 6,08,694 गृह संयोजन के कुल लक्ष्य के विरूद्ध बुडको द्वारा मात्र 49,750 ही गृह संयोजन संसूचित है।

[अनुपालन : बुडको एवं नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी एवं PDMC]

8. केन्द्र प्रायोजित के AMRUT योजना की समाप्ति की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है।

बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया जाता है कि अमृत योजनाओं को ससमय पूर्ण किया जाय।

[अनुपालन : बुडको, सभी नगर आयुक्त/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी एवं PDMC]

9. बैठक में PDMC को निदेश दिया गया कि साप्ताहिक सहित सभी प्रतिवेदन बुडको एवं नगर निकाय को समर्पित किया जाय।

[अनुपालन : PDMC, बुडको एवं नगर निकाय]

10. बुडको के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि योजना से संबंधित भुगतान, Variation, Design एवं स्थल के NoC सहित सभी अवरोधों की योजनावार समीक्षा कर कार्य में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित किया जाय।

[अनुपालन : बुडको]

11. बुडको द्वारा सहरसा नगर परिषद में जमीन/स्थल के NoC का मुद्दा उठाया गया।

बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निदेश दिया जाता है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा इस मुद्दे का अविलम्ब समाधान करें।

[अनुपालन : बुडको एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा]

12. बुडको द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद में NH-2 के ROW में Water Supply से संबंधित Pipeline बिछाया जाना है। NH-2 के ROW में Pipeline बिछाने से पूर्व NHAI द्वारा NoC निर्गत किया जाना है। बुडको द्वारा संबंधित राशि जमा करने के पश्चात् भी Pipeline हेतु NoC नहीं देने का मुद्दा बुडको द्वारा उठाया गया। बैठक में उपस्थित बुडको के अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि वे MORTH के संबंधित पदाधिकारी से मिलकर समस्या का अविलम्ब समाधान करें।

13. बैठक में निदेश दिया गया कि JnNURM एवं अमृत योजना के विरूद्ध आवंटित राशि का शत प्रतिशत उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब समर्पित किया जाय।

[अनुपालन : बुडको]

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

14.6.19

(संजय कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :–03/AMRUT-03-08/2018 1489 **दिनांक–** 14.6.19

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम–भागलपुर, पटना, आरा, बिहारशरीफ, छपरा, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद–मोतीहारी, बेतिया, सीवान, सासराम, किशनगंज, जहानाबाद, बगहा, बक्सर, डेहरी, हाजीपुर, सहरसा, औरंगाबाद एवं जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.6.19

विशेष सचिव–सह–निदेशक।

ज्ञापांक :–03/AMRUT-03-08/2018 1489 **दिनांक–** 14.6.19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार।

Team Leader,PDMC (AMRUT) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.6.19

विशेष सचिव–सह–निदेशक।